कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा (राज.)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

2020
00141

मुकाम........................

अज अदालत........ उपखण्ड अधिकारी कनवास .... बनाम........ गोपाल पुत्र रामरतन ....

.... महीपत सिंह पुत्र गुलाब सिंह .... नं........ 45/20 .... सन्........

किस्म मुकदमा........ 251 (क) ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
15/12/20	प्रार्थी महीपत सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी कैथोली के [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वयं की आराजी ग्राम कैथोली के खसरा नं. 51, 52 [illegible] पर स्थित है [illegible] ग्राम गोपाल पुत्र की आराजी [illegible] से रास्ता हेतु चाहा गया [illegible] को तलब किया गया। पुत्र रामरतन उपस्थित रास्ते हेतु सहमति दी गई। कोई विवाद नहीं है [illegible] हेतु [illegible] सहमति दी गई। पत्रावली [illegible] प्रथम दी [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] नस्ती [illegible]	[signature] गोपाल पुत्र रामरतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

Sdokan.kot@rajasthan.gov.in

निर्णय दिनांक :— 15.12.2020

प्रकरण संख्या 45 / 2020

जीसीएमएस संख्या:—00141 / 2020

बउनवान

महीपत सिंह आत्मज गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी केशोली तहसील कनवास

बनाम

गोपाल आत्मज उदा जर्ये पुत्र रामरतन आत्मज गोपाल निवासी सारोला तहसील कनवास

अन्तर्गत धारा 251

निर्णय

महीपत सिहं बनाम गोपाल

प्रार्थी श्री महीपत सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी कैशोली तहसील कनवास के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके स्वयं के खाते की ख0न0 41 ,42 की आराजी माल ग्राम सारोला मे स्थित है। जिसमें आने जाने का रास्ता ख0न0 40 के खातेदार गोपाल पुत्र उदा लाहज गूर्जर निवासी सारोला के द्वारा रोक दिया गया है इस आराजी पर पहुच हेतु अन्य जगह से ख्रास्ता खुला हुआ है किन्तु ख0न0 40 के खातेदार के हित में रास्ता नही होने से परेशानी आती है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी गोपाल आत्मज उदा के पुत्र रामरतन को तलवी तलक किया गया। अप्रार्थी को जर्ये टेलिफोन सूचित किया गया। अप्रार्थी गोपाल पुत्र उदा की ओर से उनके पुत्र रामरतन पुत्र गोपाल जाति गूर्जर उप हस्ताक्षर कराये। खातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से उपस्थित पुत्र रामरतन पुत्र गोपाल को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से अवगत कराया। समझाईश की गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई पिता के खाते दर्ज ग्राम सारोला ख0न0 40 में से 0.02 है0 भूमि दक्षिणी तरफ 59 के लगवा भूमि रास्ते के रूप मे प्रार्थी महीपत सिह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी कैशोली स्वयं के खाते की आराजी ख न 41 मे से 0.01 है पूवी तरफ ख0न042 की रकबा 0.01 हैक्टर 40 के लगवा कुल किता 2 की 0.02 है भूमि देगे।

इस प्रकार से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच कोई विवाद नही रहा निर्णय सुनाया गया ख0न 40 की रकबा 0.02 है है का अकन रास्ते के रूप में करे एवं ख न 41 की रकबा 0.01 एवं ख0न0 42 की रकबा 0.01 है कुल किता 2 की रकबा 0.02 हैक्टर की अप्रार्थी गोपाल पुत्र उदा के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं मजिस्ट्रेट कनवास
जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

260